परिशिष्ट - A

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्
छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी.
सेक्टर –21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) 492002
दूरभाष नंबर : 0771–2425441

विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन बाबत निविदा प्रपत्र

निविदा फॉर्म शुल्क – 1000/–

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी.
सेक्टर –21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) 492002

क्र./स्टेशनरी/ /2023 न.रा.अ.न. दिनांक / /2023

विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन हेतु निविदा सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में 01 वर्ष के लिये कैंटीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट wwww.markfed.cg.nic.in में देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय तथा कार्यालयीन दिवस में राशि रू. 1000.00 के बैंक ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर के नाम से देय हो, के माध्यम से लेखा कैश कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है।

1. निविदा प्रकाशन तिथि –..... 03/02/2023 .....
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय –..... 03/02/23 से 23/02/23 .
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय – ..... 24/02/2023, समय 3:00 PM .
4. निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान– ..... 24/02/2023, 4:00 P.M .

सचिव,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी.
सेक्टर –21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) 492002

विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन बाबत निविदा की विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
1	निविदाकार का नाम, पता एवं निविदा जमा/खोलने की तिथि	01
2	निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें	02 से 10
3	भाग (क) तकनीकी लिफाफा हेतु परिशिष्ट –01	11 से 12
4	भाग (ख) वित्तीय लिफाफा हेतु परिशिष्ट –02	13 से 14
5	निविदाकर्ता से इकरारनामा का प्रारूप परिशिष्ट –03	15 से 18
6	सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट –04	19 से 27

1) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. द्वारा मैनुअल निविदा के माध्यम से कैंटीन संचालन कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। मैनुअल निविदा शेड्यूल निम्नानुसार है:–

निविदा प्रकाशन तिथि –.....03/02/2023.....

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय –.....03/02/23 से 23/02/23

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय – .....24/02/23 ~~3:00 PM~~ 3.00 PM

निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान– .....24/02/23 ~~3:30 PM~~ 4.00 PM

2) निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी। समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जायेंगे।

3) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपना दरें प्रस्तुत करे, ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी.
सेक्टर –21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) 492002

विपणन संघ मुख्यालय में कैन्टीन संचालन बाबत निविदा प्रपत्र

1.	निविदाकर्ता का नाम व पता	श्री / सुश्री..... पिता / पति का नाम.....
2.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूर्ण पता	....
3.	जिला का नाम	
4.	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 1000.00 / – (वस्तु एवं सेवा कर सहित) (एक हजार रूपये मात्र) मनी रसीद नंबर .....दिनांक.....
5.	निविदा फार्म नगद क्रय की जानकारी	
6.	यदि वेबसाईट से डाउन लोड किया गया है तो संलग्न ड्राफ्ट का विवरण	ड्राफ्ट नंबर..... दिनांक..... बैंक का नाम.....
7.	निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक ..... को सायं 5.30 बजे तक।
8.	निविदा को खोले जाने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक ..... अपरान्ह 3.00 बजे। स्थान – छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. छठवीं मंजिल, सी.बी.डी. कॉम्प्लेक्स, सेक्टर – 21, नवा रायपुर अटल नगर

टिप्पणी

1. यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है, निविदाकार द्वारा निविदा टेंडर बॉक्स में डाला जावेगा।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

क्रमशः.....2

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मुख्यालय में केन्टीन संचालन के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली अनुबंध के भाग होंगे :–

1. विपणन संघ मुख्यालय, सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर के सी.बी.डी. काम्प्लेक्स के छठवीं मंजिल मे केन्टीन संचालन हेतु एक वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुए अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात कैंटीन संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर प्रबंध संचालक की अनुमति से निविदा की अवधि 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।

2. निविदाकार द्वारा दी गई रियायती दर के आधार पर न्यूनतम निविदा दर का निर्धारण किया जावेगा। निविदा के वित्तीय प्रपत्र मे निविदाकार द्वारा वास्तविक मूल्य एवं रियायती मूल्य भरा जावे, जिस निविदाकार की रियायती दर न्यूनतम होगी उससे निगोसिएशन उपरांत कार्यादेश जारी किया जायेगा।

3. निविदा प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में दो सील बंद लिफाफे में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (निविदा दस्तावेज के भाग "क") एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (निविदा दस्तावेज का भाग "ख") अलग–अलग होगा तथा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा।

4. **निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी लिफाफा में संलग्न करें :–**

4.1 निविदा फॉर्म का शुल्क 1000/– रूपये है। यदि निविदा फार्म विपणन संघ के वेबसाईट से डाउनलोड किया गया है तो निविदा फार्म का शुल्क 1000/– का पृथक से डी.डी. संलग्न करना होगा।

4.2 निविदा के साथ अमानत राशि 20000.00 रूपये किसी अधिसूचित बैंक का डिमांड ड्रफ्ट जो छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मुख्यालय रायपुर के नाम से देय होगा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4.3 निविदाकार के पास किसी शासकीय/शासकीय स्वायत्त/केंद्र अथवा राज्य शासन के अधीन संचालित संस्थान/बैंक अथवा ख्याती प्राप्त निजी संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का कैंटीन संचालन करने का अनुभव होना अनिवार्य है, तथा निविदा के साथ तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.4 निविदाकार को विगत तीन वर्षों क्रमशः वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में से किन्ही दो वर्षों का सी.ए. द्वारा प्रमाणित आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। स्व–सहायता समूहो को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने से छूट प्रदान किया जावेगा।

क्रमशः.....3

4.5 तकनीकी योग्यता के मापदण्ड के लिये निम्नानुसार तकनीकी दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगाः–

i. स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड)
ii. वस्तु सेवा कर (जी.एस.टी.) पंजीयन प्रमाण पत्र
iii. गुमास्ता लाईसेंस
iv. भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का पंजीयन प्रमाणपत्र
v. तीन वर्ष का अनुभव प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति (जिसमें तिथि DD-MM-YYYY से DD-MM-YYYY तक का पूर्ण उल्लेख हो।)
vi. सी.ए. द्वारा प्रमाणित विगत तीन वर्षों क्रमशः 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में से किन्ही दो वर्षों का आयकर विवरणी।

नोट–(अ) स्व सहायता समूहों एवं निविदाकार के व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से अधिक नहीं है तो वस्तु सेवा कर (जी.एस.टी.) पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदाय किया जावेगा।
(ब) स्व सहायकता समूहो को गुमास्ता लाइसेंस प्रस्तुत करने से छूट प्रदान किया जावेगा।

5. निविदाकार को निविदा फार्म भरने के पूर्व विपणन संघ मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर के लिए आवागमन स्थान तथा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में भली–भांति अवलोकन कर आश्वस्त हो लेना चाहिये, दर स्वीकृति उपरान्त उक्त आधारों पर स्वीकृति दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। निविदाकारों से अपेक्षा है कि निविदा भरने के पूर्व उपरोक्त जानकारी का भी भली–भांति अध्ययन कर लें।

6. विपणन संघ मुख्यालय पर अपना सम्पर्क कार्यालय और कार्यरत प्रतिनिधि रखना होगा, जिसका नाम, पता, मोबाईल नंबर, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाचित्र अनुबंध के साथ प्रमाणित कर मुख्यालय को प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी तथा उसके भविष्य निधि उपादान अन्य समस्त वैधानिक दायित्वों आदि के भुगतान का दायित्व भी निविदाकर्ता का होगा।

7. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी लिफाफा सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।

8. निविदा में प्रस्तुत अभिलेखों पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

9. <u>निविदा फार्म भरने के दिशा निर्देश</u> :–

9.1 निविदाकार निविदा फार्म निरंतर एवं विधिवत पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। निविदा फार्म का मूल्य 1000/– रूपये (वस्तु एवं सेवा कर सहित) होगा। यदि निविदा फार्म विपणन संघ के वेबसाईट से डाउनलोड किया गया है तो निविदा फार्म का शुल्क 1000/– का पृथक से डी.डी.संलग्न करना होगा।

क्रमशः.....4

9.2 निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

9.3 असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि दर स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

9.4 सफल निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा संबंधित इकाई से अनुबंध न करने के फलस्वरूप जप्त होती है तो ऐसे निविदाकार विपणन संघ की किसी भी इकाई के निविदा में 2 वर्ष के लिए भाग नहीं ले सकेगें।

10. निविदा निष्पादित करना :–

विपणन संघ के इकाई द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसे विपणन संघ की ओर से सूचना मिलने पर अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में विपणन संघ द्वारा निर्धारित संविदा 100.00 रूपये (सौ रूपये) के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर वांछित कागजात के साथ विपणन संघ मुख्यालय में अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।

11. विविध :–

11.1 विपणन संघ मुख्यालय, सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर के सी.बी.डी. काम्प्लेक्स के छठवीं मंजिल मे केन्टीन संचालन हेतु एक वर्ष के लिए निर्धारित शर्तों के तहत निविदा आमंत्रित की गई है। अनुबंध की अवधि समाप्ति के पश्चात कैंटीन संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर प्रबंध संचालक की अनुमति से निविदा की अवधि 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।

11.2 सफल निविदाकार को एक वर्ष की अवधि के लिये अनुबंध निष्पादन किया जाना है। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की सेवा प्रदाय करने की असमर्थता मान्य नही की जावेगी अन्यथा आपको विपणन संघ के द्वारा दो वर्षों के लिये ब्लैकलिस्ट किया जावेगा।

11.3 अनुबंध के निष्पादन के उपरांत सम्पत्ति का आधिपत्य "जहां है जैसी है" के आधार पर सेवा प्रदाता को दिया जायेगा।

11.4 निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति का उपयोग केंटीन व्यवसाय के लिए किया जावेगा एवं किसी भी परिस्थिति में संघ मुख्यालय परिसर का उपयोग अपने कर्मचारियों को ठहराने के लिये नहीं करेगा। संपत्ति का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य के लिए नही किया जायेगा जो सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से आपत्ति जनक हो।

क्रमशः.....5

11.5 निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति या उसके आसपास मादक पदार्थों का उपयोग एवं मद्यपान, संग्रह विक्रय प्रतिबंधित होगा। इसके उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

11.6 निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति एवं उसके परिवेश को हर समय साफ–सुथरा रखने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

11.7 निविदाकार को स्वास्थ्य संबंधी मानदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

11.8 निविदाकार को सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर इस कार्य के लिए उपयुक्त मानदण्ड के अनुसार रखना होगा। यदि यह पाया गया कि सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर अच्छा नही होगा तो उसे सुधारने के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा। यदि इस अवधि में उचित सुधार नही किया जाता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

11.9 निविदाकार को छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा कंडिका क्र. 12 में उल्लेखित सुविधायें एवं सेवा उपलब्ध करायी जावेगी। उक्त प्रदत्त सुविधाओं के लिए निविदाकार रियायती दर पर खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध करायेगा। इस हेतु वित्तीय निविदा में वास्तविक दर एवं रियायती दर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। विपणन संघ द्वारा भाग 'ख' में प्रस्तावित 34 सामाग्रियों में जिस निविदाकार का अधिकतम सामाग्रियों में रियायती दर न्यूनतम होगी उसे ही निविदा प्रदान की जावेगीं।

11.10 निविदाकार द्वारा सचिव, छ. ग. राज्य सह. विप. संघ की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन नही किया जायेगा।

11.11 निविदाकार को अपने व्यवसाय का संचालन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि परिसर का उपयोग करने वाले अन्य लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

11.12 निविदाकार के अनुबंध की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व कार्य समाप्त होने पर निविदाकार अपनी सामग्री एवं संपत्ति स्थान से अपने व्यय पर हटा लेगा एवं संपत्ति का कब्जा वापस सौंपेगा। अन्यथा अनुबंध के लिए जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।

11.13 निविदाकार, अनुबंध पर दी गयी अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को विकय, बंधक, दान या अन्य प्रकार से हस्तांतरण या अंतरण नही करेगा।

11.14 निविदाकार, भू–खंड, या उस पर निर्मित संरचना या उसके किसी भाग. में, सचिव, छ.ग. राज्य सह. विप. संघ की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई साइन बोर्ड, स्काई साइन, निऑन साइन, या अन्य विज्ञापन नहीं लगायेगा न प्रदर्शित करेगा और न ही किसी अन्य को लगाने या प्रदर्शित करने देगा। अनुज्ञा ऐसे शर्तों और दर के भुगतान पर प्रदान की जायेगी जैसा कि सचिव, छ.ग. राज्य सह. विप. संघ द्वारा समय–समय पर विनिश्चय किया जावें।

क्रमशः.....6

11.15 निविदाकार के द्वारा अचल संपत्ति का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किये जावेगा, जिस हेतु उसे प्राप्त किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि संपत्ति का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा है जिसके लिये उसे प्रदान किया गया है तो सचिव, छ.ग.राज्य सह.विप.संघ को भुगतान की गयी राशि प्रतिदेय नहीं होगी।

11.16 निविदाकार द्वारा अनुबंध पर आबंटित किये गये संपत्ति का उप विभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा।

11.17 निविदाकार, कोई सूचना अथवा भुगतान के लिए मांग जो निविदाकार को देना/करना अपेक्षित है, समुचित रूप से दी गयी अथवा की गई समझी जायेगी यदि वह निविदाकार को संपत्ति के पते पर डाक से पंजीकृत पत्र के द्वारा भेजी गयी अथवा ऐसी सूचना या भुगतान के लिए मांग डाक द्वारा भेजी गयी है, डाक के माध्यम से पहुंचाई गयी मानी जायेगी।

11.18 निविदाकार द्वारा केन्टीन प्रतिदिन कार्यालय दिवस में प्रातः 09.30 बजे से शाम 06.30 बजे तक एवं अवकाश के दिनों में आवश्यकतानुसार विपणन संघ के बैठको में खाद्य एवं पेय पदार्थो के विक्रय एवं प्रदाय हेतु खुला रखना होगा। आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन का अधिकार सचिव विपणन संघ के पास रहेगा।

11.19 निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा केन्टीन संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति निम्न अर्हताओं के अंतर्गत की गई है–

i. स्टाफ के समस्त सदस्यों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

ii. स्टाफ के समस्त सदस्यों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

iii. स्टाफ के पास पंजीकृत मेडिकल प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिवत मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिये।

iv. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को विधिवत परिचय पत्र जारी किया जाना आवश्यक है।

v. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य का नाम सहित कॉमन यूनिफार्म होनी चाहिये।

vi. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य स्टाफ के ही दूसरे सदस्यों एवं ग्राहको से व्यवहार में मृदुभाषी होना चाहिये।

vii. सर्विस स्टाफ के द्वारा दस्तानों का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

viii. किचन की सतह हमेशा साफ–सुथरी होनी चाहिये एवं किसी भी प्रकार की Greasy Surfaces से मुक्त होनी चाहिये।

ix. स्टाफ के सदस्यों के वेतन एवं अलाउंस (Allowance) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी (Sole responsibility) सेवा प्रदाता की होगी।

क्रमशः.....7

11.20 सभी खाद्य पदार्थों को पकाने/तैयार करने में परिष्कृत सूरजमुखी/सोयाबीन/मूंगफली /राईस ब्रान (एगमार्क/एफ.ए.ओ. से प्रमाणित), स्टैण्डर्ड क्वालिटी का दूध (भैंस/गाय), चाय की पत्तियां/पावडर, कॉफी पावडर का ही उपयोग किया जावेगा। निविदाकार द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता एवं मात्रा का नियमानुसार पालन करना होगा, जिसकी जांच कैंटीन संचालन समिति द्वारा समय–समय पर की जावेगी।

11.21 निविदाकार को बिल तैयार करने हेतु GST प्राप्त करना होगा।

11.22 निविदाकार द्वारा केन्टीन के संचालन हेतु विधि के नियमों के अनुरूप विभिन्न विभागों से आवश्यक सर्टिफिकेट/अनुमति निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करनी होगी। जैसे कि – FSSAI Acts के अंतर्गत फुड लायसेंस इत्यादि।

11.23 निविदाकार को खाद्य एवं पेय पदार्थो की निर्धारित दर एवं मात्रा को सूचना पटल में निर्धारित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।

11.24 निविदाकार द्वारा केंटीन में सेल्फ सर्विस सिस्टम लागू करना होगा।

11.25 निविदाकार द्वारा अपने ग्राहकों को नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रिन्टेड बिल/रिसिप्ट प्रदान करना होगा।

11.26 निविदाकार द्वारा कैशलेस भुगतान के लिये आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

11.27 निविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु सुरक्षा के समस्त आवश्यक उपाय केन्टीन के सुचारू संचालन हेतु निविदाकार द्वारा किये जायेंगे।

11.28 निविदाकार द्वारा नियमित तौर पर पेस्ट कन्ट्रोल किया जावेगा।

11.29 निविदाकार द्वारा स्वच्छता एवं साफ–सफाई की दृष्टि से प्रतिदिन अपशिष्ट पदार्थ (Garbage) को एकत्रित किया जाना एवं उनका विधिवत डिस्पोजल किये जाने की की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

11.30 निविदाकार द्वारा केन्टीन में अतिथियों एवं ग्राहको से फीडबैक लिये जाने हेतु विजिटर बुक रखा जाना अनिवार्य है।

11.31 निविदाकार द्वारा केन्टीन की नियमित साफ–सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। प्रतिदिन साफ–सफाई के अलावा प्रत्येक शनिवार को केन्टीन परिसर (Canteen Premises) की पानी से धुलाई किया जाना आवश्यक है। किचन की सतह हमेशा साफ–सुथरी होनी चाहिये एवं किसी भी प्रकार की Greasy Surfaces से मुक्त होनी चाहिये।

क्रमशः.....8

11.32 निविदाकार बिना किसी संशय के पूर्णतः इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी के संदर्भ में रोजगार देने हेतु तय किये गये समस्त विधि एवं नियमों के पालन की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। शासन अथवा उसके किसी संस्था अथवा नगरपालिका संस्थानों द्वारा जारी सभी प्रकार के विधि, आर्डिनेन्स, नियम, उप–नियम, रेगुलेशन्स, नोटिफिकेशन्स, गाइड लाईन्स, पालिसी निर्देश इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी भी निविदाकार की होगी।

11.33 निविदाकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मामले में लापरवाही बरते जाने पर या ग्राहक की प्रतिष्ठा अथवा सेवा में लापरवाही बरतने पर आवश्यक कार्यवाही किया जा सकता है,जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए सेवा से वंचित किया जाना शामिल है।

11.34 निविदाकार यदि (कैन्टीन आपरेटर) सेवा प्रदान करने में पूर्णतः असफल रहता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि अन्य दूसरे कैन्टीन आपरेटर के साथ उसी मूल्य और जिम्मेदारी के साथ सेवा संपादित कराये।

11.35 अनुबंध की शर्तों में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदाकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रदाय की जा रही सेवाओं/खाद्य एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता मे कमी पाई जाती है अथवा अनुबंध की शर्तों का पालन न करने की स्थिति प्रबंध संचालक को कभी भी अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

11.36 निविदाकार अपनी इच्छा से कम से कम 30 दिवस पहले अनुबंध को समाप्त करने के इरादे से विपणन संघ को लिखित नोटिस देना होगा।

11.37 विपणन संघ द्वारा प्रतिदिन 300–400 कप चाय/कॉफी अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

11.38 सप्ताहिक मेनू एक सप्ताह पहले तैयार किया जाकर विपणन संघ की कैंटीन संचालन समिति से स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। प्रत्येक माह में 01 बार कमेटी से निरीक्षण कराया जाना निविदाकार की जिम्मेदारी होगी।

11.39 निविदाकार का प्रतिष्ठान का कार्यालय रायपुर अथवा नवा रायपुर अटल नगर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

11.40 निविदा जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध रहेगी।

11.41 जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर कार्य करने के लिये अुनबंध करना होगा। निष्पादित किये गये निर्धारित अनुबंध की अवधि के समाप्ति के पश्चात एवं कैंटीन संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर प्रबंध संचालक की अनुमति से निविदा की अवधि 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।

क्रमशः.....9

12. **विपणन संघ निविदाकार को निम्नलिखित वस्तुएं प्रदान करेगा :–**

12.1 कैंटीन सेवाओं के संचालन के लिये स्थान (वर्तमान में 47 वर्गमीटर)

12.2 बिजली (केवल रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर एवं ओवन के उपयोग हेतु)

12.3 धोने एवं पीने का पानी।

12.4 फर्नीचर, एयर कंडीशनर, चिमनी एवं अन्य बुनियादी ढ़ांचा।

13. **दण्ड :–**

13.1 निविदाकारी या उसके कर्मचारियों द्वारा गुणवत्ता बनाये रखने में किसी भी गंभीर चूक के लिये तथा मिलावट आदि के लिये निविदाकार पर जुर्माना लगाने का अधिकार विपणन संघ के पास रहेगा।

13.2 किसी भी स्थिति में कैंटीन परिसर गंदा दिखाई पड़ने पर या कैंटीन कर्मचारी आबंटित कार्य करने में लापरवाही कर रहे है तो उनके मासिक बिल का 1 प्रतिशत से अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना संबंधित महिने के लिये लगाया जायेगा।

13.3 निविदाकार को मेनू, भोजन की आवृत्ति सेवा और कैंटीन के समय के संबंध में विपणन संघ कैंटीन संचालन समिति के निर्देशों का पालन करना होगा। निविदाकार द्वारा पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह के बदलाव करने पर अनुबंध का उल्लंघन माना जावेगा और ऐसे मामले में विपणन संघ जुर्माना लगाये जाने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा अनुबंध रद्द भी कर सकता है।

13.4 निविदाकार द्वारा परोसे जाने वाले सभी खाद्य सामाग्री उचित, ताजी और स्वच्छ होने चाहिये और सरकार द्वारा अनुमोदित मानक के अनुसार गुणवता वाले होने चाहिये। विपणन संघ को किसी भी समय उल्लेखित किसी भी उल्लंघन मामले में, अनुबंध को समाप्त करने और उपयुक्त जुर्माना लगाये जाने का अधिकार रहेगा।

13.5 भोजन तैयार करने के लिये केवल सर्वोत्तम/ब्रांडेड गुणवत्ता वाले खाद्य सामाग्री का उपयोग किया जायेगा। गैर मिलावटी चीजें, सब्जी, पावडर, तेल, सब्जियों का ही इस्तेमाल किया जावेगा। विपणन संघ द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूनों का जांच आवश्यक रूप से समय–समय पर किया जावेगा और जहां आवश्यक हो सैम्पल की जांच सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से कराई जावेगी और परिणाम विपणन संघ की कैंटीन संचालन समिति द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे। तेल का दोबारा उपयोग सख्त वर्जित है। उल्लेखित किसी भी शर्त/निर्देश के उल्लंघन के मामले में अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा और संघ द्वारा उपयुक्त जुर्माना लगाया जायेगा।

13.6 खाना पकाने के लिये उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल को कैंटीन संचालन समिति द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है और यदि अमानक सामाग्री पाई जाती है तो इसे अनुबंध के उल्लंघन क रूप में माना जायेगा और संस्थान के अनुबंध को समाप्त करने तथा जुर्माना लगाने का अधिकार होगा और संघ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

क्रमशः.....10

13.7 अुनबंध के अनुसार स्वीकृत दर को कैंटीन परिसर में चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। अनुबंध अनुसार खाद्य सामाग्री स्वीकृत दर से अधिक राशि में नहीं लिया जावेगा। नियमित निरीक्षण करने तथा दण्ड की प्रकृति का निर्धारण करने और रिपोर्ट करने के लिये कैंटीन संचालन समिति बनाई जायेगी। कैंटीन संचालन समिति मासिक बिल का 1 प्रतिशत से अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकेगा तथा अनुबंध को समाप्त करने की अनुशंसा भी कर सकेगा। इस मामले में विपणन संघ का निर्णय अंतिम और निविदाकार पर बाध्यकारी होगा।

14 अनुबंध की शर्तों में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदाकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रदाय की जा रही सेवाओं/खाद्य सामाग्री की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो कैंटीन संचालन समिति की अनुशंसा के आधार पर विपणन संघ को निविदाकार पर जुर्माना लगाने तथा अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

15 निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का भाग माना जावेगा जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में एवं विपणन संघ की वेबसाइट में अपलोड किया जावेगा तथा संशोधन/शद्धि पत्र निविदा निविदा भरने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक जारी किया जा सकता है।

16 उक्त शर्तों के अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 21, सी.बी.डी., टावर सी कमर्शियल कॉम्पलेक्स के छठवें फ्लोर में कैंटीन हेतु 47 वर्ग मीटर स्थल में कैंटीन संचालन के लिये अनुबंध उभय पक्षों की सहमति से निष्पादित किया जावेगा।

17 छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक/243/वि./नि./चार/2013 नया रायपुर दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं, की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है (परिषिश्ट 4)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

क्रमशः.....11

भाग – "क"

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

विपणन संघ मुख्यालय में केंटीन संचालन बाबत निविदा प्रपत्र

1. हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1.1. निविदाकार का पूरा नाम व पता .....

.....

.....

1.2. निविदाकार के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता .....

.....

1.3. दूरभाष क्रमांक कार्यालय एवं निवास .....

.....

1.4 निविदाकार के फर्म का स्वरूप .....
(फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार/
स्व–सहायता समूह)

1.5. यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारों .....
के नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित .....
प्रति संलग्न करें)

1.6. फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक .....
(सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)

1.7 फर्म का स्थाई लेखा संख्या प्रपत्र (पैन कार्ड) .....

1.8 वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन प्रमाण पत्र .....

1.9 भारत की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण .....
(FSSAI)

1.10 वर्तमान में किसी शासकीय/शासकीय स्वायत्त .....
संस्थान/केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन .....
संचालित संस्थान तथा बैंक अथवा ख्याति प्राप्त .....
निजि संस्थान में 3 वर्ष का कैंटीन संचालन .....
करने का अनुभव प्रमाण पत्र (जिसमें पूर्ण तिथि .....
DD-MM-YYYY से DD-MM-YYYY तक) संलग्न करें।

1.11 विगत दो वर्ष का आयकर विवरणी संलग्न करें .....

1.12 निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण संलग्न करें। रूपये कुल 20,000.00
डी.डी. नंबर.....
बैंक का नाम.....

क्रमशः.....12

1.13 निविदा फार्म हेतु प्रस्तुत की गई राशि विवरण संलग्न करें।

रूपये कुल 1,000.00
डी.डी. नंबर.....
बैंक का नाम.....

1.14 निविदाकार के बैंक खाते का विवरण विवरण संलग्न करें।

बैंक खाता क्र.....
बैंक का नाम एवं ब्रांच.....
आई.एफ.एस.सी. कोड.....

2 हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....
स्थान.....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
फर्म का नाम .....
पूरा पता .....
हैसियत .....
मुहर .....

क्रमशः.....13

भाग–ख
(वित्तीय लिफाफा हेतु)
कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ मुख्यालय केंटीन में बनाये जाने वाले खाद्य सामाग्रियों का विवरण

क्र.	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा	वास्तविक दर (रूपये में)	रियायती दर (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कॉफी	100 एम.एल.		
2	चाय	100 एम.एल.		
3	चाय स्पेशल	100 एम.एल.		
4	डिप चाय	100 एम.एल.		
5	ग्रीन टी (ब्रांडेड कंपनी का)	100 एम.एल.		
6	लेमन टी/ब्लेक टी	100 एम.एल.		
7	पोहा (150 ग्राम)	एक प्लेट		
8	जलेबी (150 ग्राम)	एक प्लेट		
9	सादा दोसा (100 ग्राम), एवं चटनी–सांभर	एक प्लेट		
10	मसाला दोसा (175 ग्राम), एवं चटनी–सांभर	एक प्लेट		
11	उत्पम (100 ग्राम), एवं चटनी–सांभर	एक प्लेट		
12	इडली–2 पीस (120 ग्राम), एवं चटनी–सांभर	एक प्लेट		
13	दही बड़ा –2 पीस (120 ग्राम) दही (50 ग्राम)	एक प्लेट		
14	सांभर बड़ा–2 पीस (120 ग्राम), एवं चटनी–सांभर	एक प्लेट		
15	समोसा –2 पीस (120 ग्राम), एवं चटनी	एक प्लेट		
16	मूंग बड़ा (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
17	दही समोसा–2 पीस (120 ग्राम) दही (50 ग्राम)	एक प्लेट		
18	कचौड़ी–2 पीस (120 ग्राम), एवं चटनी	एक प्लेट		
19	वेजीटेबल कटलेट–2 पीस (100 ग्राम), एवं चटनी	एक प्लेट		
20	वेजीटेबल सेंडविच– 4 पीस एवं चटनी	एक प्लेट		
21	ब्रेड पकोड़ा –2 पीस (120 ग्राम), एवं चटनी	एक प्लेट		
22	भजिया (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		

क्रमशः ...14

23	प्याजी बड़ा–2 पीस (120 ग्राम), एवं चटनी	एक प्लेट		
24	उड़द बड़ा–2 पीस (120 ग्राम), एवं चटनी	एक प्लेट		
25	साबूदाना बड़ा–2 पीस (120 ग्राम), एवं चटनी	एक प्लेट		
26	आलू चाप–2 पीस (120 ग्राम), एवं चटनी	एक प्लेट		
27	पूड़ी–4 पीस (120 ग्राम) एवं आलू सब्जी	एक प्लेट		
28	ढ़ोकला (120 ग्राम), एवं चटनी	एक प्लेट		
29	फरा (120 ग्राम) एवं चटनी	एक प्लेट		
30	चना चिल्ली (100 ग्राम), एवं चटनी	एक प्लेट		
31	पराठा प्लेन–2 पीस (120 ग्राम) एवं दही/सब्जी	एक प्लेट		
32	आलू पराठा प्लेन–2 पीस (150 ग्राम) एवं दही/सब्जी	एक प्लेट		
33	लंच थाली–तवा रोटी 4 (प्रत्येक 35 ग्राम), चावल (200 ग्राम), वेजकरी (120 ग्राम), दाल फाई (120 ग्राम), ड्राय सब्जी (120 ग्राम), दही, आचार, पापड़–1, मिठाई–1	प्रति थाली		
34	स्पेशल थाली–तवा बटर रोटी 4(प्रत्येक 35 ग्राम), जीरा राईस (200 ग्राम), दाल फाई(120 ग्राम), ड्राय सब्जी (120 ग्राम), पनीस सब्जी (120 ग्राम) रायता, दही, आचार, पापड़–1, मिठाई–1	प्रति थाली		

टीपः– 1. निविदाकार द्वारा दी गई रियायती दर के आधार पर न्यूनतम दर की गणना की जावेगी।

2. उपरोक्त खाद्य सामग्रियों के अतिरिक्त निविदाकार द्वारा सील पैक्ड खाद्य एवं पेय पदार्थ यथाः– बिस्किट, चिप्स, कोल्ड्रींक, जूस, दूध, लस्सी, छांछ आदि रखना अनिवार्य होगा।

दिनांक .....

स्थान .....

निविदाकार का नाम

हस्ताक्षर व सील

क्रमशः ...15

इकरारनामा

यह इकरारनामा दिनांक..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय छठवीं मंजिल, सी.बी.डी. कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर में है, जिसे आगे विपणन संघ के नाम से संबोधित किया है, कि ओर से पक्ष 01 सचिव..... अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर तथा पक्ष 02 मेसर्स.....की ओर से श्री..... ..... वल्द..... जिला..... के निवासी है, जिसे की आगे निविदाकार के नाम से संबोधित किया गया है, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि, निविदाकार द्वारा विपणन संघ में दिनांक .....2023 से दिनांक .....2024 तक की अवधि के इकरारनामा में दर्शायी गयी दरों एवं शर्तों को स्वीकार किया गया हैं।

1. विपणन संघ मुख्यालय, सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर के सी.बी.डी. काम्प्लेक्स के छठवीं मंजिल मे केन्टीन संचालन हेतु एक वर्ष के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए कार्यादेश दिया जायेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात कैंटीन संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर प्रबंध संचालक की अनुमति से निविदा की अवधि 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।
2. सफल निविदाकार को एक वर्ष की अवधि के लिये अनुबंध निष्पादन किया जाना है। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की सेवा प्रदाय करने की असमर्थता मान्य नही की जावेगी अन्यथा आपको विपणन संघ के द्वारा दो वर्षों के लिये ब्लैकलिस्ट किया जावेगा।
3. अनुबंध के निष्पादन के उपरांत सम्पत्ति का आधिपत्य "जहॉ है जैसी है" के आधार पर सेवा प्रदाता को दिया जायेगा।
4. निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति का उपयोग केंटीन व्यवसाय के लिए किया जावेगा एवं किसी भी परिस्थिति में संघ मुख्यालय परिसर का उपयोग अपने कर्मचारियों को ठहराने के लिये नहीं करेगा। संपत्ति का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य के लिए नही किया जायेगा जो सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से आपत्ति जनक हो।
5. निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति या उसके आसपास मादक पदार्थों का उपयोग या मद्यपान, संग्रह विक्रय प्रतिबंधित होगा। इसके उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
6. निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति एवं उसके परिवेश को हर समय साफ–सुथरा रखने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
7. निविदाकार का स्वास्थ्य संबंधी मानदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः ...16

8. निविदाकार को सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर इस कार्य के लिए उपयुक्त मानदण्ड के अनुसार रखना होगा। यदि यह पाया गया कि सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर अच्छा नहीं है तो उसे सुधारने के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा। यदि इस अवधि में उचित सुधार नही किया जाता तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

9. निविदाकार द्वारा सचिव, छ.ग.राज्य सह.विप.संघ की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन नही किया जायेगा।

10. निविदाकार को छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जल, इलेक्ट्रीसिटी एवं फर्नीचर उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त प्रदत्त सुविधाओं के लिए निविदाकार रियायती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायेगा।

11. निविदाकार को अपने व्यवसाय का संचालन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि परिसर का उपयोग करने वाले अन्य लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

12. निविदाकार के अनुबंध की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व कार्य समाप्त होने पर निविदाकार अपनी सामग्री एवं संपत्ति स्थान से अपने व्यय पर हटा लेगा एवं संपत्ति का कब्जा वापस सौंपेगा। अन्यथा अनुबंध के लिए जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।

13. निविदाकार, अनुबंध पर दी गयी अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को विकय, बंधक, दान या अन्य प्रकार से हस्तांतरण या अंतरण नही करेगा।

14. निविदाकार, भू–खंड, या उस पर निर्मित संरचना या उसके किसी भाग में, सचिव, छ.ग. राज्य सह.विप.संघ की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई साइन बोर्ड, स्काई साइन, निऑन साइन, या अन्य विज्ञापन नहीं लगायेगा न प्रदर्शित करेगा और न ही किसी अन्य को लगाने या प्रदर्शित करने देगा। अनुज्ञा ऐसे शर्तों और दर के भुगतान पर प्रदान की जायेगी जैसा कि सचिव, छ. ग. राज्य सह. विप. संघ द्वारा समय–समय पर विनिश्चय किया जावे।

15. निविदाकार को द्वारा अचल संपत्ति का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किये जावेगा, जिस हेतु उसे प्राप्त किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि संपत्ति का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा है जिसके लिये उसे प्रदान किया गया है तो सचिव, छ.ग.राज्य सह.विप.संघ को भुगतान की गयी राशि प्रतिदेय नहीं होगी।

16. निविदाकार द्वारा अनुबंध पर आबंटित किये गये संपत्ति का उपविभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा।

17. निविदाकार कोई सूचना अथवा भुगतान के लिए मांग जो निविदाकार को देना/करना अपेक्षित है, समुचित रूप से दी गयी अथवा की गई समझी जायेगी यदि वह निविदाकार को संपत्ति के पते पर डाक से पंजीकृत पत्र के द्वारा भेजी गयी अथवा ऐसी सूचना या भुगतान के लिए मांग डाक द्वारा भेजी गयी है, डाक के माध्यम से पहुंचाई गयी मानी जायेगी।

18. निविदाकार द्वारा केन्टीन प्रतिदिन कार्यालय दिवस में प्रातः 09.30 बजे से शाम 06.30 बजे तक एवं अवकाश के दिनों में आवश्यकतानुसार विपणन संघ के बैठको में खाद्य एवं पेय पदार्थो के विक्रय एवं प्रदाय हेतु खुला रखना होगा। आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन का अधिकार सचिव विपणन संघ के पास रहेगा।

क्रमशः ...17

19. निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा केन्टीन संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति निम्न अर्हताओं के अंतर्गत की गई है–

i. स्टाफ के समस्त सदस्यों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
ii. स्टाफ के समस्त सदस्यों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।
iii. स्टाफ के पास पंजीकृत मेडिकल प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिवत मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिये।
iv. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को विधिवत परिचय पत्र जारी किया जाना आवश्यक है।
v. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य का नाम सहित कॉमन यूनिफार्म होना चाहिये।
vi. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य स्टाफ के ही दूसरे सदस्यों एवं ग्राहको से व्यवहार में मृदुभाषी होना चाहिये।
vii. सर्विस स्टाफ के द्वारा दस्तानों का उपयोग किया जाना आवश्यक है।
viii. किचन की सतह हमेशा साफ–सुथरी होनी चाहिये एवं किसी भी प्रकार की Greasy Surface से मुक्त होनी चाहिये।
ix. स्टाफ के सदस्यों के वेतन एवं अलाउंस (Allowance) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी (Sole responsipility) सेवाप्रदाता की होगी।

20. निविदाकार द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थो की गुणवत्ता एवं मात्रा का नियमानुसार पालन करना होगा जिसकी जांच समय–समय पर छ.ग. राज्य सह. विप. संघ के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारी की जावेगी।

21. निविदाकार को बिल तैयार करने हेतु GST प्राप्त करना होगा।

22. निविदाकार द्वारा केन्टीन के संचालन हेतु विधि के नियमों के अनुरूप विभिन्न विभागों से आवश्यक सर्टिफिकेट/अनुमति निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करनी होगी। जैसे कि – FSSAI Acts के अंतर्गत फुड लायसेंस इत्यादि।

23. निविदाकार को खाद्य एवं पेय पदार्थो की निर्धारित दर एवं मात्रा को सूचनापटल में निर्धारित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।

24. निविदाकार द्वारा केंटीन में सेल्फ सर्विस सिस्टम लागू करना होगा।

25. निविदाकार द्वारा अपने ग्राहकों को नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रिन्टेड बिल/रिसिप्ट प्रदान करना होगा।

26. निविदाकार द्वारा कैशलेस भुगतान के लिये आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

27. निविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु सुरक्षा के समस्त आवश्यक उपाय केन्टीन के सुचारू संचालन हेतु निविदाकार द्वारा किये जायेंगे।

28. निविदाकार द्वारा नियमित तौर पर पेस्ट कन्ट्रोल किया जावेगा।

29. निविदाकार द्वारा स्वच्छता एवं साफ–सफाई की दृष्टि से प्रतिदिन अपशिष्ट पदार्थ (Garbage) का एकत्रित किया जाना एवं उनका विधिवत डिस्पोजल किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

क्रमशः ...18

30. निविदाकार द्वारा केन्टीन में अतिथियों एवं ग्राहको से फीडबैक लिये जाने हेतु विजिटर बुक रखा जाना अनिवार्य है। प्रत्येक माह में 01 बार कमेटी से निरीक्षण कराया जाना निविदाकार की जिम्मेदारी होगी।

31. निविदाकार द्वारा केन्टीन की नियमित साफ सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। प्रतिदिन साफ–सफाई के अलावा प्रत्येक शनिवार को केन्टीन परिसर (Canteen Premises) की पानी से धुलाई किया जाना आवश्यक है।

32. निविदाकार बिना किसी संशय के पूर्णतः इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी के संदर्भ में रोजगार देने हेतु तय किये गये समस्त विधि एवं नियमों के पालन की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। शासन अथवा उसके किसी संस्था अथवा नगरपालिका संस्थानों द्वारा जारी सभी प्रकार के विधि, आर्डिनेन्स, नियम, उप–नियम, रेगुलेशन्स, नोटिफिकेशन्स, गाइड लाईन्स, पालिसी निर्देश इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी भी निविदाकार की होगी।

33. निविदाकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मामले में लापरवाही बरते जाने पर या ग्राहक की प्रतिष्ठा अथवा सेवा में लापरवाही बरतने पर आवश्यक कार्यवाही किया जा सकता है, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए सेवा से वंचित किया जाना शामिल है।

34. निविदाकार यदि (कैन्टीन आपरेटर) सेवा प्रदान करने में पूर्णतः असफल रहता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि अन्य दूसरे कैन्टीन आपरेटर के साथ उसी मूल्य और जिम्मेदारी के साथ सेवा संपादित कराये।

35. अनुबंध की शर्तों में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदाकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रदाय की जा रही सेवाओं/खाद्य सामग्री की गुणवत्ता मे कमीं पाई जाती है, तो उक्त संबंध मे सूचना के आधार पर प्रबंध संचालक की अनुमति/अनुशंसा पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

उक्त शर्तों के अंतर्गत नया रायपुर के सेक्टर–21, सी.बी.डी. कॉम्पलेक्स नवा रायपुर अटल नगर में केन्टीन हेतु 47 वर्ग मीटर स्थल में व्यवसाय संचालन के लिए लाईसेंस का अनुबंध उभय पक्षों की सहमति से निष्पादित किया जाता है।

गवाह :–

1. नाम ..... पक्ष 01 छ.ग. राज्य सह.विप. संघ की ओर
पता .....
.....
हस्ताक्षर .....

2. नाम ..... पक्ष 02 निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
पता .....
.....
हस्ताक्षर .....

C.G. STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

6th Floor, Tower 'C', Commercial Complex,
CBD Building, Sector - 21, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur (C.G.)



INTEGRITY PACT

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20 , between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri _____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/ Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri _____ Chief Executive Officer/Authorized Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/Government Undertaking/Partnership /Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment/ Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favor or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/ PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favor, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favor, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favor or disfavor to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR is the original Manufacture/ Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. **PREVIOUS TRANSGRESSION**

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged

hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. **EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)**

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favor of.. .....

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalized Bank, promising payment of the guaranteed sum to the ..... (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid up to a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. **SANCTIONS FOR VIOLATIONS**

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/ PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning *any* reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/PRINCIPAL shall not be required to assign *any* reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving *any* compensation to the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of_____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/ PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/ PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to any middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest /stake in the BIDDER /SELLER / CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. The BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. **FALL CLAUSE**

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. **INDEPENDENT' MONITORS**

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. **FACILITATION OF INVESTIGATION**

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. **LAW AND PLACE OF JURISDICTION**

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e. at RAIPUR Chhattisgarh.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at ..... on .....

BUYER/PRINCIPAL
Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Designation
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness
1) _____
2) _____

BIDDER/SELLER/CONTRACTOR

Witness
1) _____
2) _____